न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-368RAAJodhpur2021-179RTA225 Smt. Chandadevi Vs Dudaram etc

श्रीमती चन्दा देवी पुत्री स्व. श्री परसाराम, पत्नी श्री रामनिवास, जाति मेघवाल, निवासी– उस्तरा, हाल निवासी– हिरादेसर, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. दूदाराम पुत्र परसाराम
02. रूगनाथ पुत्र धुड़ाराम उर्फ धुलाराम
03. नरसिंहराम पुत्र बालाराम
    सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण– उस्तरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 सितंबर 2021 सहायक कलक्टर भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106/2021 श्रीमती चन्दा देवी बनाम दूदाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या चार
शेष रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 27 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106/2021 अनवान श्रीमती चन्दादेवी बनाम दूदाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 सितंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 70 रकबा 1.4650 हैक्टेयर ग्राम सारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नगर (उस्तरा) तहसील भोपालगढ के संबंध धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2021 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना तथा पक्षकारों के बीच विवाद के बिंदु को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की गई है। अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या दो की पोती होने से इस भूमि में उनका बराबर का अधिकार बनता है, इस कारण अपीलांट को इस भमि का खातेदार घोषित करने के लिए यह दावा घोषणा का पेश किया गया है। अपीलांट का विवादग्रस्त पैतृक भूमि मे जन्म से ही अधिकार है तथा विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त होने से प्रथमदृष्टया केस व तुलनात्मक सुविधा का संतुलन अपीलांट के हक में है। अगर रेस्पोडेंट संख्या दो को विवादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तांतरण करने से नहीं रोका गया तो भूमि का आगे से आगे बेचान हो जायेगा तथा मौके पर से अपीलांट को बेदखल कर दिया जायेगा, जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर विवाद बढ सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य हैं।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106/2021 अनवान श्रीमती चन्दादेवी बनाम दूदाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 सितंबर 2021 को निरस्त फरमाया जावे एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 70 रकबा 09.01 बीघा ग्राम सारण नगर(उस्तरा) के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे तथा रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या तीन ने अपीलांट के अधिरवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 70 अपीलांट की पुश्तैनी भूमि नही होकर रेस्पोडेंट्स को जरिये बख्शीश प्राप्त भूमि है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि नहीं होने से अपीलांट का उसमें किसी प्रकार का हक–हिस्सा निहित नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या तीन वादग्रस्त आराजीयात का पंजीबद्ध बेचाननामा के जरिये रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपने केस साबित नहीं किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 70 रकबा 1.4650 हैक्टेयर प्रथमदृष्टया रेस्पोडेंट संख्या एक को जरिये दान पत्र प्राप्त होना प्रतीत होता है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 21.06.2021 के मुताबिक रेस्पोंडेंटस संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या तीन को विक्रय किया जाना प्रतीत होता है।

जहां तक वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि होने तथा उसमें उसका पुश्तैनी हिस्सा होने के तथ्य का निर्धारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में जरिये साक्ष्य सिद्ध होना है। अदालत हाजा की राय मे रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाते है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्क्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106/2021 अनवान श्रीमती चन्दादेवी बनाम दूदाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 सितंबर 2021 यथावत रखा जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर